न्यायालय सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 66/2015/TI

1. खींवादास महाविद्यालय सांगलिया सेसम तहसील दांतारामगढ जरिये प्राचार्य श्री राजकुमार पुत्र श्री आसाराम जाति बलाई निवासी संतोषपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

–प्रार्थी

बनाम

1. रामकरण
2. रिछपाल } पुत्रगण श्री टीकूराम
3. जगदीश
4. रामनिवास पुत्र श्री खुमाणाराम
5. नारायण पुत्र श्री किसनाराम
6. भंवरलाल पुत्र श्री कानाराम
7. भगवानाराम पुत्र श्री धन्नाराम
8. केसर पुत्र श्री धन्नाराम
9. सुखदेवी पत्नि स्व0 भगवाना
10. बेगाराम
11. सांवरमल } पुत्रगण भगवानाराम
12. गजानन्द
13. भगवानाराम पुत्र श्री धन्नाराम
14. भागीरथ पुत्र श्री कुम्भाराम
15. देवेन्द्र
16. रणजीत } पुत्रगण भगवाना
17. पटवारी पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
18. उप–पंजीयक लोसल तहसील दांतारामढ जिला सीकर।
15. तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़(सीकर)

Scanned by CamScanner

आवेदन अं0 धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति–
1. श्री आनन्द राड़ वकील प्रार्थी की ओर सें।

निर्णय

दिंनाक :– 09.07.2019

8. आवेदन का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि भूमि खसरा नम्बर 492 रकबा 1.58 है0, खसरा नम्बर 493 रकबा 0.09 है0, खसरा नम्बर 494 रकबा 0.04 है0 किता 3 कुल रकबा 1.71 है0 वाके ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। भूप्रबंध विभाग के आदेश दिनांक 25.08.1993 के द्वारा सेसम के पुराने ख0नं0 211/1 रकबा 3.72 है सम्पूर्ण अलाट कर नामांतरण आवेदक प्रार्थी संस्था के पक्ष में दिनांक 02.10.93 को तस्दीक किया गया था तब सें आवेदक उक्त आराजियात का मालिक चला आ रहा है। परानी भूमि खसरा नम्बर 211/1 के कालान्तर में पैमाईश के वक्त अलग अलग खसरा नम्बर राजस्व नक्शें में 703, 704, 702/948 व खसरा नम्बर 493 व 494 व कुछ हिस्सा खसरा नम्बर 492 में दर्शाते हुए राजस्व नक्श व रिकॉर्ड बनाए गये जो नये नक्शे व पुराने नक्शे का मिलान करने सें भी पूर्णतया साबित है। खसरा नम्बर 703, 704, 702/948 की खातेदारी श्री खींवादास महाविघालय सेसम के नाम सही सही दर्ज कर दी लेकिन खसरा नम्बर 494, 493 व 492 की खातेदारी कतई गलत व लापरवाही पूर्ण तरीके सें अनावेदक के नाम दर्ज कर दी जिसका दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। उक्त भूमियो पर कब्जा काश्त व मालिकाना हक प्रार्थी का ही चला आ रहा है व अन्य किसी दिगर व्यक्ति का किसी तरह सें कोई दखलंदाजी करने का हक अधिकार नहीं है। दिनांक 01.09.2015 को अनावेदकगणों ने उक्त भूमियों खसरा नम्बर 494, 493, 492 में निर्माण सामग्री डालकर जबरन निर्माण कार्य करने की कुचेष्ठा करने लगे जब प्रार्थी ने ऐसा करने सें मना किया तो लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हो गये। इस प्रकार अनावेदकगण उक्त गलत खातेदारी की आड़ में उक्त आराजियात पर निर्माण करने या उक्त आराजियात को रहन, बेचान करने की कुचेष्टा मे कामयाब होता है तो आवेदक को इस कदर अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में किसी भी तरह से संभव नहीं है इसलिए विवादित आराजियात खसरा नम्बर 493, 494 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 492 का आंशिक में सें अनावेदकगण का नाम हजफ कर आवेदक को पुनः खातेदार उद्घोषित कर उसी मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद किया जावे तथा नक्शे को दुरूस्त कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है तथा अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे कि उक्त गलत खातेदारी की आड़ में उक्त आराजियात पर निर्माण करन या रहन बेचान करने सें तादौराने दावा बाज रहे।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दाँतारामगढ़ (सीकर)

Scanned by CamScanner

9. आवेदन पेश होने पर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी सं0 11 व 12 की ओर सें वकील श्री सुरेन्द्र सिंह विश्राम हाजिर आये तथा शेष अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी सं0 11 व 12 की ओर सें जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये। जवाब पेश नहीं किया जाने पर बहस एकपक्षीय सुनी गई ।

10. बहस एकपक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने आवेदन में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अनावेदकगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद फरमाया जावे कि उक्त गलत खातेदारी की आड़ में उक्त आराजियात पर निर्माण करने या रहन बेचान करने सें बाज रहे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली व उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। **प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है। सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में ही है। अतः आवेदन अंतर्गत धारा 212 आरटीए स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगणों को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा सें पाबंद किया जाता है कि ग्राम सेसम पटवार हल्का भगतपुरा तहसील दांतारामगढ के खसरा नम्बर 493. 494 सम्पूर्ण व खसरा नम्बर 492 पर मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें।** पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम व मूलवाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 09.07.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर फास्टट्रेक, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner